

पब्लिशिंग ऑफिस (का. एन.)-78

REGISTERED No. D. (DN) 72


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

CK
27/12/85

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

क्र. 561] नई दिल्ली, बुधवार, 26 दिसंबर, 1985; पृष्ठ 5, 1985
No. 561] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 1985/PAUSA 5, 1985

इस भाग को बिना पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 दिसंबर, 1985

अधिसूचना

सा. का. नि. 938(अ) -- केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन)
व्यवस्थापन, 1985 (1985 का 77) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 26 दिसंबर, 1985 को उस तारीख के रूप में
नियत करती है जिसकी उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[का. सं. 10/40/85-एम एंड जी]
ए. के. तसाक, संयुक्त सचिव

1308 GI/85

(1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 26th, December, 1985

NOTIFICATION

G.S.R. 938 (E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the President's Pension (Amendment) Act, 1985 (77 of 1985), the Central Government hereby appoints the 26th day of December 1985, as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. 10/40/85-M&G]
A.K. BASAK, Jt. Secy.